प्रेस नोट

दिनांक 08.07.2025

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा हत्या का वांछित अभियुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वारंटी/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना जलालपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 90/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल राजपूत पुत्र प्रकाश को पड़वार नाला के पास वहद ग्राम बरहरा थाना जलालपुर के पास से आलाकत्ल 01 अदद बांस का डण्डा के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 06.07.2025 को शाम करीब 17:00 बजे जरिए दूरभाष से थाना जलालपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लोधीपुरा थाना जलालपुर में देशी शराब की दुकान के पास बालकिशन राजपूत पुत्र श्याम सुन्दर (उम्र लगभग 40 वर्ष) निवासी ग्राम लोधीपुरा थाना जलालपुर व राहुल राजपूत पुत्र प्रकाश राजपूत (उम्र लगभग 28 वर्ष) ग्राम लोधीपुरा थाना जलालपुर के बीच शराब पीने व लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमे राहुल राजपूत ने बालकिशन राजपूत के पेट में बाएं तरह डंडे से व सीने पर मुक्के से मारा और नाक से खून बहने लगा। जिसे स्थानीय लोगो द्वारा उपचार हेतु सीएचसी सरीला ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बालकिशन राजपूत को मृत घोषित कर दिया।थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायनामा/पोस्टमार्टम की गयी थी। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जलालपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम राहुल पुत्र प्रकाश के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

राहुल राजपूत पुत्र प्रकाश (उम्र करीब 28 वर्ष) निवासी लोधीपुरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. अपराध निरीक्षक पवन कुमार पटेल
2. हे0का0 शैलेन्द्र कुमार
3. का0 मनोज कुमार